प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 16.09.2024

थाना शहाबगंज पुलिस टीम द्वारा 25.600 लीटर अवैध शराब व मोटरसाइकिल बरामद करते हुए 01 अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार,

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा द्वारा अवैध शराब तस्करी व बिक्री के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसौदिया के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 15.09.2024 को शहाबगंज पुलिस टीम द्वारा देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना शहाबगंज पर मु0अ0सं0 96/2024 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत होकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस कार्यवाही- दिनांक 15.09.2024 को उ0 नि0 रामचन्द्र शाही मय हमराह द्वारा ग्राम सवैया महालवार ईट भट्ठे के पास संदिग्ध व्यक्ति/संदिग्ध वाहनों व अवैध मदाक पदार्थ की चेकिंग की जा रही थी कि उसी दौरान एक तेज रफ्तार मोटर साइकिल चालाक विशुनपुरा की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। पुलिस चेकिंग को देखकर हड़बड़ाकर मोटर साइकिल पीछे घुमाकर भागने का प्रयास किया कि वही अनियंत्रित होकर गिर गया। संदेह होने पर मौजूदा पुलिस टीम द्वारा ईट भट्ठे के पास से उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया । भागने का कारण पूछने पर बताया कि साहब मेरी मोटर साइकिल के पीछे जो सफेद प्लास्टिक की बोरी बंधी हुई है उसमे देशी शराब है,जिससे खोलकर चेक किया गया तो बोरी के अन्दर विन्डसर लाइम देशी शराब मसाला प्रत्येक 200 ML है । जिसकी गिनती की गयी तो कुल 128 टेट्रा पैक शराब बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान प्रदीप कुमार बिन्द पुत्र बहू बिन्द निवासी ग्राम बहेरिया थाना चैनपुर जनपद कैमूर (बिहार) उम्र करीब 19 वर्ष के रुप में हुई। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उ0प्र0 से देशी शराब खरीदकर बिहार में ले जाकर मंहगे दामों में बेचकर मुनाफा कमाता है।

नाम पता अभियुक्त- प्रदीप कुमार बिन्द पुत्र बद्दू बिन्द निवासी ग्राम बहेरिया थाना चैनपुर जनपद कैमूर (बिहार) उम्र करीब 19 वर्ष

स्थान गिरफ्तारीः- ग्राम सवैया महालवार ईंट भट्ठे के पास थाना क्षेत्र शहाबगंज जनपद चन्दौली

विवरण   बरामदगी-

1.एक सफेद प्लास्टिक की बोरी मे 128 पाउच विन्डर लाइम प्रत्येक 200 ml देशी शराब मसाला कीमत करीब 20 हजार रूपये

2.01मोटरसाइकिल (UP67AF5615)

गिरफ्तारी व बरामदगी की पुलिस टीम-

1. मिर्जा रिजवान बेग थानाध्यक्ष थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली

2. उ0नि0 रामचन्द्र शाही

3. हे0का0 महेश प्रताप सिंह

4. का0 अमित कुमार पटेल

5. का0 राजू चौहान

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 16.09.2024*

थाना चन्दौली जनपद चन्दौली

□थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा चोरी के गहनों के साथ किया गया 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार

□चोरी किये गये आभूषणों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 63 हजार रू0 है, जिसको पुलिस टीम द्वारा बरामद किया गया

चन्दौली: पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक (सदर) चन्दौली विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के कुशल पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चन्दौली गगन राज के नेतृत्व में चन्दौली जीटी रोड डीएम कार्यालय मोड़ के पास से मु0अ0सं0 225/2024 धारा 305/331(4) बीएनएस से सम्बन्धित (02 अंगुठी व 01 चैन) को बरामद करते हुए 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना चन्दौली पर मु0अ0सं0 225/2024 धारा 305/331(4) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूर्व की घटना- दिनांक 15.09.2024 को वादी डा0 अंकित त्रिपाठी पुत्र ओमप्रकाश त्रिपाठी निवासी रमना शिवगंगा कालोनी थाना लंका जिला वाराणसी द्वारा तहरीर दिया गया कि मै वर्तमान समय मे पं० कमलापति त्रिपाठी अस्पताल मे डाक्टर के पद पर नियुक्त हूँ। तथा नहर वाली रोड़ पर प्रहलाद मौर्या के मकान मे किराये पर रह रहा था। दिनांक 3.09.2024 से अवकाश पर था। उसी बीच 13.9.24 की रात को हमारे मित्र आकाश वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा ग्र0 कमालपुर थाना धानापुर जिला चंदौली व अमृत सिंह पुत्र सुनील सिंह पता ग्राम अमवारी थाना रघुनाथपुर जिला सिवान बिहार मेंरे रुम को देखने आये तो रुम का ताला टूटा हुआ था और समान सब बिखरा पड़ा था। मित्रो द्वारा घटना की सूचना मकान मालिक प्रहलाद मौर्या को देने पर मकान मालिक द्वारा 112 नं0 पर सूचना दी गयी। जब मै सुबह आया देखा कि कमरे से एक सोने की चैन, दो सोने अंगुठी, एक जोड़ी चाँदी का पायल, एक जोड़ा छररा चाँदी का एवं एक लैपटाप जिसका नं0- DEL LAPTOP-716/BWE/IN5-15/C13-7020U/4GB (8504) चोरी हो गया था। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चन्दौली पर मु0अ0सं0 225/2024 धारा 305/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया प्रचलित है।

अभियुक्त का नाम व पता –

1-अश्वनी उर्फ पिन्टू पुत्र हरिद्वार सिंह औसत उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम फुटिया थाना व जिला चन्दौली

2- अनुज उर्फ चिरंजीव पुत्र अवधेश सिंह उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम फुटियाँ थाना व जिला चन्दौली

बरामदगी का विवरण –

1.चैन 7.090 ग्राम कीमत करीब 40000 रूपये

2.अंगुँठी छोटी 2.420 ग्राम कीमत 8000 रूपये

3.बडी अंगुँठी 2.680 ग्राम कीमत करीब 15000 रूपये

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण-

1-उ0नि0 दुर्गेश यादव चौकी प्रभारी कस्बा थाना कोतवाली चन्दौली।

2- हमराह का0 विजय कुमार चौकी कस्बा थाना कोतवाली चन्दौली।

3-का0 इन्द्रजीत यादव चौकी कस्बा थाना कोतवाली चन्दौली ।

प्रेस नोट-दिनांकः 16.09.2024

यातायात पुलिस चंदौली

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान आज दिनांक 16.09.2024 को कुल 75 वाहनों का चालान करते हुए 82,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 16.09.2024 जनपद में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 75 वाहनों का चालान करते हुए 82,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया। साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्लघन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या यातायात नियम उल्लघन का प्रकार चालान की संख्या

1 मोटरसाइकिल पर तीन सवारी-05

2. बिना हेलमेट-32

3. नो पार्किंग-24

4. गलत दिशा में वाहन चलाना-10

5. गलत नंबर प्लेट- 02

6. बिना इंसोरेंस वाहन चलाना-01

7. अन्य- 01

यातायात नियमों के उलंघन में आज दिनांक 16.09.2024 को की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-75

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-82,000/- रूपयें।

प्रेस नोट दिनांक-16.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री कुंवर जितेन्द्र प्रताप सिंह (सिविल जज (जू0डि)/न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 2 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना शहाबगंज के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 14.05.1994 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.भगेलू पुत्र शिवलाल निवासी पटेरी थाना चाँद जिला भभुआ कैमूर बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या- 35/1994 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना शहाबगंज में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विपीन बिहारी यादव (पीओ) व थाना शहाबगंज आरक्षी बिपिन कुमार यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-16.09.24 को पीठासीन अधिकारी श्री कुंवर जितेन्द्र प्रताप सिंह (सिविल जज (जू0डि)/न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त 1.भगेलू पुत्र शिवलाल निवासी पटेरी थाना चाँद जिला भभुआ कैमूर बिहार को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 2 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-16.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना धानापुर के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 10.07.2003 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.श्याम लाल बिन्द पुत्र ढोलू बिन्द निवासी खडान थाना धानापुर जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 119/2003 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना धानापुर में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विपीन कुमार (एपीओ) व थाना धानापुर मुख्य आरक्षी सुबहान अहमद की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-16.09.24 को पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त 1. श्याम लाल बिन्द पुत्र ढोलू बिन्द निवासी खडान थाना धानापुर जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक- 16.09.2024

जनपद चन्दौली

□ जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों के आस पास व सार्वजनिक स्थानों पर नशेबाजी करने वालों को खिलाफ चेकिंग व कार्रवाई अभियान

□ जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 15 शराबियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई।

चन्दौली:- सड़क, कार, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, ऐसा करना आपके लिए और दूसरे के लिये खतरनाक साबित हो सकता है। यह जरूरी बातें सभी जानते हैं लेकिन जो नहीं मानते उनके लिये जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई।

चन्दौली में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने, रंगबाजी, जुआ खेलने, स्टंट दिखाने, छेड़खानी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई जारी है। अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। एक बार से अधिक पकड़े जाने पर डिफॉल्टर्स का लाइसेंस भी निरस्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील जगह चिह्नित कर पुलिस ने उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति पर कार्यवाही की गई।

चन्दौली पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे ने बताया कि जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारीगण को सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाते हुए कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। यह अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जाता रहेगा।

इसी क्रम में 16.09.2024 को समस्त थानों द्वारा धारा 292 BNS व पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कुल 15 शराबियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।